भारतीय रिज़र्व बैंक

(वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग)

केन्द्रीय कार्यालय

अधिसूचना

मुम्बई, 13 अक्टूबर, 2021

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2021

सं.फेमा.396(1)/2021-आरबी.—विदेशी मुद्रा विनियमन प्रबंधन अधिनियम, 1999 (सन 1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ए) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 (अधिसूचना सं. फेमा. 396/2019–आरबी दिनांक 17 अक्तूबर 2019) (इसके बाद 'प्रधान विनियमावली' के रूप में उल्लिखित) में निम्नलिखित संशोधन करता है**,** यथा –

1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन

(i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (प्रथम संशोधन) विनियमावली**,** 2021 कहा जाएगा।

(ii) ये विनियम शासकीय गजट में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. विनियम 2 में संशोधन

(i) प्रधान विनियमावली के विनियम 2 में खंड (i) के बाद निम्नलिखित नया खंड संनिविष्ट किया जाएगा :

"(आईए) "अवसंरचना निवेश ट्रस्ट" अथवा "आईएनवीआईटी" का आशय है ऐसा कारोबारी ट्रस्ट जिसकी परिभाषा आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 13ए की धारा 2 में दी गई है।"

(ii) प्रधान विनियमावली के विनियम 2, में खंड (क्यू) के बाद, निम्नलिखित नए खंड को संनिविष्ट किया जाएगा :-

"(क्यूए) "भू सम्पदा निवेश ट्रस्ट" अथवा "आरईआईटी" का आशय है ऐसा कारोबारी ट्रस्ट जिसकी परिभाषा आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 13ए की धारा 2 में दी गई है।"

3. अनुसूची 1 में संशोधन

(i) प्रधान विनियम की अनुसूची 1 के अनुच्छेद 1 के उप-अनुच्छेद ए में, खंड (के) के बाद, निम्नलिखित नए खंड को संनिविष्ट किया जाएगा : -

"(l) ऋण प्रतिभूतियां जो (i) आईएनवीआईटी और (ii) आरईआईटी द्वारा जारी की गई हैं।"

डिम्पल भांडिया,
मुख्य महाप्रबंधक

फुट-नोट :- प्रधान विनियमावली को 17 अक्तूबर 2019 के जी.एस.आर. सं.796(ई) के माध्यम से शासकीय राजपत्र के द्वितीय भाग, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

Published in the Gazette of India [Extraordinary, Part III–Section 4], vide Gazette ID CG-MH-E-21102021-230591 dated 21.10.2021